an>

Title: Need to relax the norms of assistance from National Disaster Response Fund and State Disaster Response Fund to enable farmers to avail financial relief in the event of crop loss due to natural calamities.

श्री अर्जुन राम मेघवाल **(**बीकानेर**):** उपाध्यक्ष महोदय, देश के कई भागों में बेमौसम बरसात, तूफान, चक्रवात, ओलावृष्टि आदि से किसानों की फसलें चौपट हुई हैं तथा भयंकर नुकसान भी हुआ है। राजस्थान भी इसकी चपेट में रहा है। मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के प्रायः सभी विधान सभा क्षेत्रों में मौसम की मार से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए किसानों की मदद करने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नियमों में दो हेक्टेयर की सीमा के कारण किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिल पाता है और किसान परेशानी में आकर आर्थिक तंगी महसूस करने लगता है। मेरे द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी से भी चर्चा की गयी। माननीय वित्त मंत्री जी को भी सारे तथ्यों से अवगत कराया गया। माननीय वित्त मंत्री जी का दौरा भी राजस्थान के कई हिस्सों में हुआ है। केन्द्रीय टीम भी राजस्थान का निरीक्षण करके आ चुकी है।

इन परिस्थितियों में भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री, माननीय गृह मंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री जी से मेरी मांग है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ नियमों में आज की परिस्थिति के अनुसार संशोधन किया जाए, जिससे मौसम की मार से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Gutha Sukender Reddy – Not present